381

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

निग्र०/०प्र०क्र० नि 3043 - 16

ब्रजेश कुमार खरे पटवारी हल्का मामौन तह० टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..निगरानीकर्ता

बनाम

श्री अजय श्रीवास्तव, अधि० द्वारा 6-9-16 प्रस्तुत

6-9-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) सोबरानी पत्नी हरदास गडरिया नि० अटरिया पटवारी हल्का मेला राजस्व निरीक्षक मंडल बडागांव (धसान)

समस्त निवासी ग्राम अटरिया तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

(2) म.प्र.शासन

..प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय अपरकलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालयीन प्र०क्र० 72 /बी.121-2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 28/7/2016 के अंतिम पैराग्राफ के विरुद्ध अंतर्गतधारा 50 म०प्र० भू०रा०सं०1959

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है।

1\. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता क्र. 1लगायत 3 के द्वारा एकआवेदन अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां धारा32 म.प्र. भूमि रा.सं. 1959 का प्रस्तुत कर अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागांवधसान के प्र०क्र० 043/अ-19(4)/95-96 मे पारित आदेश दिनांक 25/4/96 मे जारी प्रारूप "ग" मे अंकित प्रश्नाधीन भूमि ख० क्र.3 रकवा 5.888हे० को वर्ष 95-96 से 99-2000के खसरा मे दर्ज होने के पश्चात वर्ष 2001-से 2013 तक इन्द्राजी छूट जाने के कारण उसे दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था उक्त आवेदन पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार बड़ागांव से प्रतिवेदन मंगाया और उन्होने प्र०क्र०043/अ-19(4)95-96 जो अन्य व्यक्ति तिजुला अहिरवार निवासी राशन डेरा के नाम से दायरा रजिस्टर मे दर्ज होना बताया के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रति निगराकार क्र.1 लगा.3 जो अधीनस्थ -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3043-एक/2016 जिला टीकमगढ़ बृजेश विरूद्ध सेवरानी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़के प्रकरण क्रमांक 72/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.01.19
सदस्य